UPME010090782026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
<u>प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2586/2026</u>

गौरव उर्फ बैहली पुत्र राजवीर, निवासी–ग्राम–दबथुआ, थाना–सरधना, जिला–मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–176/2025
अं0धारा–115(2),324(4),109,131, 118(1),352,351(1),3(2) बी0एन0एस0
थाना–सरधना, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से.....श्री अरविंद कुमार, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

<u>दिनांक–06.07.2026</u>

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त गौरव उर्फ बैहली की ओर से मुकदमा अपराध सं0–176/2025, अं0धारा–115(2),324(4),109,131, 118(1), 352,351(1),3(2) बी0एन0एस0, थाना–सरधना, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि दिनांक 28.03.2025 को गांव के रहने वाले सुमित, गोलू व गौरव उर्फ बैहली ने वादी के भाई के साथ मारपीट की, जिसने उसके भाई का मोबाइल तोड दिया था। दिनांक 29.03.2025 को वादी व उसकी मां सोहनवती और उसका भाई श्रीकान्त मोबाइल ठीक कराने के लिए ब्रजमा के घर गये थे तो गांव के रहने वाले गौरव ने अपने हाथ में ली हुई बलकटी से जान से मारने की नीयत से उसके भाई के उपर हमला कर दिया, जिससे उसको सिर में गंभीर चोटें आयी। राजवीर ने उसकी माता

सोहनवती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया तथा उसके भाई श्रीकान्त और उसके उपर विशाल व गौरव ने हमला कर दिया, जिससे तीनों लोगों के काफी चोटें आयी।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।
- कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।
- उसके द्वारा कोई मारपीट नहीं की गयी है।
- उसके कब्जे से दर्शायी गयी बरामदगी का कोई जनता का साक्षी नहीं है।
- इस मामले के सह–अभियुक्त की जमानत स्वीकार की जा चुकी है।
- तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005)8 एस0सी0सी0–21** में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति–युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता, जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशित किया है।

8. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर श्रीकांत, विशाल व सोहनवती के साथ बलकटी से मारपीट किये जाने के आरोप हैं।

9. चोटहिल श्रीकान्त के चिकित्सकीय प्रपत्रों के अनुसार उसे एक चोट आयी, जिसे जेरे निगरानी रखा गया तथा एक्सरे के लिए संदर्भित किया गया। चोटहिल की एक्सरे आख्या के अनुसार हड्डी में कोई भी अनियमित्ता नहीं पायी गयी। चोटहिल सोहनवती के चिकित्सीय प्रपत्रों के अनुसार उसे एक चोट आयी, जो साधारण प्रकृति की थी। चोटहिल विक्रांत के चिकित्सीय प्रपत्र के अनुसार उसे तीन चोटें आयी, जो साधारण प्रकृति की थी।

10. अभियोजन के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त बलकटी बरामद की गयी। प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

11. इस मामले के सह–अभियुक्त की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

12. अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

13. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.04.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

14. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना कोई मत प्रकट किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त गौरव उर्फ बैहली द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ₹ 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायः–

1. अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
2. विवेचक द्वारा तलब किए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्त साक्षियों को डराएगा–धमकाएगा नहीं और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा।
4. विवेचक की अनुमति के बिना दौरान विवेचना जिले से बाहर नहीं जायेगा।

5. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस तरह का कोई अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।

6. इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 06.07.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

S.Rastogi (P.A.)